खंड ९ संख्या ४१

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

सोमवार, तिथि ९ अप्रील, १९५६

Vol. IX No. 41

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Monday, the 9th April, 1956.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५६

[मूल्य—६ आना।]
[*Price—Annas 6.*]

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।)

बिहार विधान परिषद् के तोड़ने के सम्बन्ध में वैधानिक प्रस्ताव।

STATUTORY MOTION REGARDING THE ABOLITION OF THE BIHAR LEGISLATIVE COUNCIL.

उपाध्यक्ष—श्री राम नारायण चौधरी का बिहार विधान परिषद् के उत्सादन के सम्बन्ध में प्राविधानिक प्रस्ताव है। श्री पुरुषोत्तम चौहान पिछले समय इस पर बोल रहे थे और आज वे अनुपस्थित हैं। आज साधारण तौर पर इसी पर बहस-मुबाहिसा चलेगी। अब श्री मुहम्मद ताहीर को जो कुछ कहना हो, कहें।

*Shri MUHAMMAD TAHIR : Sir, I want to say that there are two motions under discussion in the House—one regarding the abolition of the Council and the other for starting a college in each district. My submission is that the resolution regarding the establishment of a college in each district is more important than the other resolution. I, therefore, submit that this resolution should be discussed first in the interest of the general public.

उपाध्यक्ष—मैं श्री राम नारायण चौधरी से जानना चाहूँगा कि इस प्रस्ताव को स्थगित करने में उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है चूंकि यह उन्हीं का प्रस्ताव है।

Shri RAMCHARITRA SINHA : Sir, I rise to say something. Now this is not the motion of Shri Ram Narayan Choudhary. It is the motion of the House, and it is for the House to say which is the more important motion. I must sat that the abolition of the Council is an statutory motion which is very important and this has been hanging for a very long time. I think in comparision the other motion is very insignificant because it touches only a part of the State. I think House should take up the statutory motion first.

*श्री चन्द्र शेखर सिंह—हमारी प्रार्थना है कि जिस ऑर्डर में मोशन आया है उसी ऑर्डर से लिया जाय।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य श्री राम नारायण चौधरी जो पहले प्राविधानिक प्रस्ताव के मूवर (प्रस्तावक) हैं उनका मत मैं पहले जानना चाहता था। उसके बाद जो दूसरा प्रस्ताव ताहीर साहेब का है कि उनका प्रस्ताव पहले लिया जाय या नहीं, इसके सम्बन्ध में मैं सदन से राय ले लूंगा।

श्री राम चरित्र सिंह—यह प्राविधानिक प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री मुन्द्रिका सिंह—श्री राम नारायण चौधरी का प्रस्ताव स्थगित किया जाय तब दूसरे प्रस्ताव को लिया जा सकता है नहीं तो पहले ही प्रस्ताव पर बहस करनी होगी। श्री राम नारायण चौधरी का प्रस्ताव कार्य-सूची में पहले है।

उपाध्यक्ष—श्री राम नारायण चौधरी का प्रस्ताव कार्य-सूची में पहले आया है तो नौमंली यही होगा कि पहले उसको ले लें, लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य चाहें और कहें कि दूसरा प्रस्ताव ज्यादा जरूरी है या किसी और कारण से उसे ही पहले लिया जाय और ताहीर साहेब भी चाहते हों कि उनका प्रस्ताव पहले लिया जाय तो वे एक स्थगन प्रस्ताव (पोस्टपौनमेंट मोशन) पेश कर सकते हैं।

*श्री योगेश्वर घोष—अब मैं आपकी आज्ञा से क्लोजर मोशन पेश करना चाहता हूँ कि अब प्रश्न पूछा जा सकता है (क्वेश्चन मे नाऊ बी पुट)।

उपाध्यक्ष—मैंने कहा है कि नौमंली कार्य-सूची में जैसा है उसी हिसाब से टेक अप करना चाहिये लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि दूसरा मोशन जो अंडर डिसकसन है, लिया जाय तो वे अपना मोशन पेश करें तब विचार किया जायगा।

*श्री हरिहर प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, श्री योगेश्वर घोष ने एक क्लोजर मोशन मूव किया है। जब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो जाय तबतक सदन में दूसरी चीज नहीं लाई जा सकती है।

उपाध्यक्ष—क्लोजर मोशन का प्रश्न अभी नहीं उठता है, क्योंकि अभी वैधानिक प्रस्ताव के विषय में बात-चीत चल रही है। अभी सदन में दो प्रस्ताव हैं और सदन के डिस्क्रिशन पर है कि जिसे चाहे वह ले।

*Shri **MURLI MANOHAR PRASAD** : Sir, you have first to give ruling on the point raised by the Leader of the House. The point raised by the Leader of the House is very important. He raises the issue as to whether or not the statutory motion must have preference over the other motion particularly when the debate has been going on for some time. Therefore, you have kindly to decide first what your ruling is going to be on the point raised by the Leader of the House.

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य विहार विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ४४ को देखें। उसमें है कि :

"The following motions may be made, without notice:— (*vii*) a motion for the postponement of any business included in the List of Business (with the consent of Speaker)."

Shri **RAMCHARITRA SINHA** : That motion is not here. Had he moved that the consideration of this resolution be postponed then it would have been a motion. There is no such motion at present before the House.

उपाध्यक्ष—कुछ माननीय सदस्यों को आपत्ति है तो मैंने असेम्बली रूल नं० ४४ को पढ़ दिया। इस स्टेज में कोई माननीय सदस्य अगर चाहते हैं कि फलां मोशन

स्थगित किया जाय तो वे उठकर कह सकते हैं। माननीय सदस्य, श्री ताहिर साहब ने कहा है कि पहला जो मोशन है वह डिसकस नहीं किया जाय और दूसरा मोशन लिया जाय तो ऐसी हालत में वे अपना मोशन पेश कर सकते हैं।

श्री मुहम्मद ताहीर—जनाब सदर, मैं तजवीज करता हूँ कि पहला जो कौंसिल खतम

करने का प्रस्ताव श्री राम नारायण चौधरी का है, उसे स्थगित किया जाय और हर जिला में जो कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है उसे लिया जाय।

Shri RAMCHARITRA SINHA : Sir, it is not in proper form. The motion should be put in proper form.

Shri MAHAMMAD TAHIR : Sir, I have moved the resolution in proper form and if my friend does not understand, I cannot help.

उपाध्यक्ष—शान्ति, शान्ति, माननीय सदस्य दोनों बातें एक साथ नहीं कहें।

Shri MUHAMMAD TAHIR : Sir, I beg to move :

That the discussion for the establishment of colleges should be taken up today and that the discussion of the Statutory motion regarding abolition of the Council, should be postponed.

DEPUTY SPEAKER : Firstly, the hon'ble member should move that item number so and so under discussion be postponed.

Shri RAMCHARITRA SINHA : There is no convention to postpone it and we should proceed on.

Shri MUHAMMAD TAHIR : Sir, I beg to move that the discussion item number 1 of the List of Business be postponed for the present.

Shri CHANDRA SHEKHAR SINGH : Sir, the motion is not in proper form.

Shri MUNDRIKA SINGH : Sir, firstly a motion was moved by the Leader of the House and a decision should be taken on that motion and then another motion can be taken.

DEPUTY SPEAKER : I do not allow it. The hon'ble member should tell as to which motion should be postponed and for what period.

Shri MUHAMMAD TAHIR : Sir, I beg to move :

That item number 1 of the List of Business be postponed for the present.

श्री राम लखन सिंह यादव—१, २, ३, ४ बार किसी सदस्य को चेयर बतावें कि

इस तरह से मोशन मूभ करना चाहिये और उसके बाद भी मोशन ऑर्डर में न रहे तो उस मोशन को नहीं लिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष—मोशन का सब्सटेंस सबको मालूम है। मोशन अभी भी ऑर्डर में नहीं है इसलिये मैं लाचार हूँ। आइटम नम्बर १ यहां नहीं है। अब श्री राम नारायण चौधरी के मोशन पर वादविवाद चलेगा।

*श्री जमुना प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राम नारायण चौधरी के वैधानिक प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। संविधान के आर्टिकल १६६ के क्लॉज १ में लिखा है :

"Notwithstanding anything in article 168, Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council, if the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting."

It is desirable to abolish the Legislative Council of this State now. Therefore, this Assembly resolves that the Bihar Legislative Council be abolished.

उपाध्यक्ष महोदय, कई सत्रों से इस पर वादविवाद हो रहा है। बहुत-सी बातें इसके सम्बन्ध में कही जा चुकी हैं और हो सकती है कि मेरी दलीलों में कुछ वे बातें भी आ जायं लेकिन कोशिश करूँगा कि वे न आयं। सवाल यह है कि आज हमारे यहां परिषद् की जरूरत है या नहीं। संविधान में यह सवाल उठाया गया है कि कोई असेम्बली इस तरह का निर्णय करके संसद् के पास अपनी सिफारिश भेज सकती है। जिस समय संविधान बन रहा था उसी समय यह बात लोगों के दिमाग में आयी थी। आज बी और सी राज्यों में कौंसिल नहीं है और ए श्रेणी के सभी राज्यों में कौंसिल नहीं है। हमारे सामने सवाल यह है कि इसकी जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो रहना चाहिये और जरूरत नहीं है तो एक मिनट के लिये भी इसको नहीं रखना चाहिये। कौंसिल का क्या काम है वह संविधान में लिखा हुआ है। इसके तीन काम हैं। कानून बनाना, टैक्स लगाना और शासन पर अधिकार रखना। अब यह देखना चाहिये कि कौंसिल से इन तीनों कामों में कितनी मदद मिलती है। इन तीन कामों में तो दो काम ऐसे हैं जिनपर मत देने का अधिकार या वोट डाउन करने का अधिकार काउन्सिल को नहीं है। यह ठीक है कि बजट वगैरह पर, वित्तिय विवरण पर वहां विचार-विमर्श होता है लेकिन काउन्सिल को यह अख्तियार नहीं है कि उसको माने या न माने, वह सिर्फ अभिस्ताव कर सकती है, असेम्बली के पास सिफारिश के साथ भेजती है। उनका यह अधिकार नहीं है कि किसी मांग को नाजायज समझ कर रद्द कर दे। इस तरह वित्तीय बातों में तो काउन्सिल को कुछ अधिकार ही नहीं है। अब रही कानून की बात। कानून बनाने का भी कोई अधिकार नहीं है जिसमें वित्त से सम्बन्ध है, सेल्स टैक्स इतना रहे और इतना रहे इसपर भी उसका अधिकार फैसला करने का नहीं है। हां, यह मैं मानता हूँ कि साधारण कानून जिसमें वित्त का कोई भी सरोकार नहीं है वह वहां भी पास हो सकता है और वहां अगर पास हो जाए.....

श्री रामचरित्र सिंह—Even financial Bill can be reconsidered by the Council but that will come to Assembly for approval.

श्री जमुना प्रसाद सिंह—मैं यह कह रहा था कि वित्तीय बातों में काउन्सिल को कोई अधिकार नहीं है। किसी चीज को वोट डाउन नहीं कर सकता है, वह केवल अभिस्ताव कर सकती है। (दे कैन सीम्प्ली रीकोमेन्ड) और असेम्बली में भेज सकती है कि ऐसा करने का विचार है जिसे असेम्बली मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। इस तरह वित्तीय बातों में व्होट डाउन करने का अधिकार उसको नहीं है, यही तो उसकी कीमत है। आर्टिकल १९८ में है:

(1) A Money Bill shall not be introduced in a Legislative Council.

(2) After a Money Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State having a Legislative Council, it shall be transmitted to the Legislative Council for its recommendation.." That shows the power of the two houses. तो मैं कह रहा था कि जहां तक वित्तीय बातों का सम्बन्ध है उसको पास करने का कोई अधिकार काउन्सिल को नहीं है। अभिस्ताव कर सकती है कि उसकी यह राय है और जहां तक दूसरे कानून का सम्बन्ध है जहां फाइनेन्शियल मैटर इन्वोल्भ नहीं है उसको वहां पास किया जा सकता है लेकिन पास करने के बाद भी असेम्बली में राय के लिये आयेगा और इसके बाद अगर कुछ रद्दोबदल करना चाहेगी तो कर सकती है। असेम्बली से अगर कोई चीज काउन्सिल में विचार के लिये जाती है और अगर काउन्सिल तीन महीने तक उसपर विचार नहीं करती है तो उसको मान लिया जायेगा कि पास हो गया है। तो इन सारी चीजों में समय और पैसे का खर्च होता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। यह तो सुपरफ्लूअस बड़ी है और इसकी आवश्यकता आज-कल के युग में, जब जनतन्त्र की बात कही जाती है, नहीं है। तो हमारे कहने का गर्ज यह है कि एक बात में तो कोई अधिकार काउन्सिल को नहीं है और दूसरी में अगर कुछ अधिकार है तो वह भी सुपरफ्लूअस है। इसलिये इस बड़ी की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद काउन्सिल का गठन किस तरह होता है इसको देखा जाये। आजकल जनतन्त्र के जमाने में काउन्सिल का किस तरह गठन होता है वह आर्टिकल १९१ में दिया हुआ है। उसको देखने से मालूम होता है कि लोकल बडीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से चुन कर जो लोग आते हैं उनलोगों के मत से एक तिहाई लोग काउन्सिल में लिये जायं। दूसरे जो स्नातक लोग होंगे उनका एक निर्वचन-क्षेत्र है और १/१२ संख्या उनकी होगी। शिक्षकों का नि चिन-क्षेत्र है और १/१२ संख्या उनकी भी होगी। असेम्बली के सदस्य भी १/३ हिस्सा चुनेंगे और बकिये राज्यपाल महोदय चुनेंगे जो कि वैज्ञानिक होंगे, कला विशेषज्ञ होंगे और सहयोग समितियों के जानकार हों उनमें से चुनेंगे। तो आप देखें कि प्रजातन्त्र का जो विधान है वह यह है कि बालिग मताधिकार प्राप्त लोगों से चुनाव होना चाहिए। लेकिन कौंसिल का चुनाव का जो तरीका है वह प्रजातान्त्रिक नहीं है। इसमें कुछ पढ़े-लिखे और शिक्षकों और दूसरे अन्य चुने हुए लोगों को ही चुने जाने का विधान है। इसमें जो लोग चुने जाते हैं वे प्रत्यक्ष तरीका से नहीं चुने जाते हैं। सचाई से देखने से पता चलता है कि लोकतन्त्र की जो बुनियाद आपने डाली है और उसके अनुसार जो चुनाव होना चाहिए वह नहीं होता

है। दूसरी बात यह है कि कौंसिल को कोई ताकत नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वह कोई लेजिस्लेशन करे। किसी चीज में देरी कर सकती है लेकिन उसको नामंजूर नहीं कर सकती। तो मेरा कहना यह है कि यह कौंसिल सुपरफ्लूअस है और अजनतान्त्रिक है। इसमें बुनियादी बात छिपी हुई है इस वजह से कौंसिल किसी काम का नहीं है। उसके जो मतदाता हैं वे प्रजातान्त्रिक ढंग से मत नहीं देते हैं। सिर्फ वे राय देते हैं लेकिन उनकी जो राय होगी वह प्रगतिशील नहीं होगी। वित्तीय बातों में राय देने का उनको अधिकार नहीं है। इसलिए उनका विचार भी प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता है। इसलिये भी उसकी जरूरत नहीं है।

श्री सैयद मुहम्मद अकिल—क्या यह तर्क राज्य स ा के लिए भी लागू है ?

श्री जमुना प्रसाद सिंह—यह राज्य सभा के लिए लागू नहीं होगा। क्योंकि संघीय राज्य के लिए संघीयराज्य का नुमाइन्दा होना चाहिए। जैसे बिहार बंगाल, बम्बई आदि संघीय राज्यों के माइन्दे होने चाहिये और उनके नुमाइन्दे केन्द्र को मदद के लिए जरूरी हैं। इसीलिए राज्यों से लोग राज्य सभा में चुनकर जाते हैं। वे जो कानून बनाते हैं वह सारे राज्यों के लिए होता है। वे फेडरल यूनिट को कायम रखने के लिए काम करते हैं। इसलिये संघीय राज्यों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। लेकिन इसको जरूरत नहीं है। राज्य सभा में और परिषद् में जमीन आसमान का अन्तर है।

श्री चन्द्र प्रसाद सिंह—आपको संविधान बनाने वाले को समझा देना चाहिये था।

श्री जमुना प्रसाद सिंह—संविधान बनाने वालों ने लिख दिया है कि जब चाहो को उठा दो।

श्री सैयद मुहम्मद अकिल—मैं जानना चाहता हूँ कि आर्टिकल १६९ में असेम्बली को यह अधिकार है या नहीं कि वह उत्सादन भी कर सकता है और सृजन भी कर सकता है ?

श्री जमुना प्रसाद सिंह—यह ीक है। लेकिन यहां सवाल उन्मूलन का है सृजन का नहीं है। हमने शुरू में ही कहा कि देखिए कि इसकी जरूरत है या नहीं। आपका कहना है कि परिषद् की इस लिये जरूरत है कि वहां सामाजिक विज्ञान, सहकारिता तथा दूसरी-दूसरी तरह के विशेषज्ञ रहते हैं और उनकी सलाह से हम फायदा उठाते हैं। परन्तु जिस प्रकार परिषद् में सदस्य चुनकर आते हैं और उनका जो संगठन है वह बडी कभी गतिशील नहीं हो सकती है और चूंकि वह प्रोग्रेसिभ बडी नहीं है इसलिए उनकी राय की कोई कीमत नहीं हो सकती। आज तो दलीय प्रणाली की सरकार है। और चुनाव घोषणापत्र को जनता के सामने रखकर जो दल बहुमत में आता है व ी सरकार बनाता है और उसके बाद अधिकार में आकर उस चुनाव घोषणापत्र को कार्यान्वित करते हैं। चुनाव घोषणापत्र को तैयार करने में आप भले ही वैज्ञानिक

अथवा प्राध्यापक की राय ले सकते हैं लेकिन जनतन्त्र में परिषद् में विशेषज्ञों को रखने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। दलीय-प्रणाली में जब तक आपको दल में बहुमत नहीं है, आपके विचारों का कोई असर नहीं होता। भले ही आपके विचार बहुत अच्छे हों। यदि आप परिष के तिहास को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आज के जमाने में, वयस्क मताधिकार के जमाने में परिषद् की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा तो केवल कार्यों का पुनरीक्षण और विलम्ब होगा दूसरा कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो आप खुद सोचें कि ऐसे सुपरफ्लूअस और ननडेमोक्रेटिक बडी को रखने से क्या लाभ है।

अब मैं आपको परिषद् की इतिहास को यानी इसकी कैसे पैदाइश हुई, आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ऐतिहासिक कारणों से मैं कहता हूँ कि आज के स्वतन्त्र भारत में यह एक बड़ी दुखद कहानी है। आप इंगलैंड के हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स की परम्परा की बात करते हैं लेकिन इस प्रान्तीय असेम्बली और कौंसिल के प्रश्न में यह लागू नहीं होता। एक जमाना था जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंगलैंड में रूल करती थी। धीरे-धीरे उनका अधिकार छिन्न होता गया और आज वह एक नाम नेहाजी चीज रह गयी है और जिस तरह किसी पुराने जमाने के चीज को म्यूजियम में रख दिया जाता है उसी तरह हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंगलैंड में है। लेकिन जहांतक हिन्दुस्तान में परिषद् के बनने की बात है आपको मालूम होना चाहिये कि १९१९ का जो इण्डिया ऐक्ट बना था उसमें दो चैम्बर की कोई बात नहीं थी। १९३५ में अंगरेजों ने भारत के लिये जो विधान बनाया उसमें दो हाउस का प्रोविजन रखा गया। कारण यह था कि १९३५ के करीब इस देश में कांग्रेस की आजादी की लड़ाई कुछ बढ़ गयी थी और उसमें तेजी आ गई थी। अंग्रेजों ने देखा कि धीरे-धीरे अधिकार को जनता के नुमाइन्दों के हाथ में सौंपना पड़ेगा और इसलिये उनलोगों ने अपने समर्थकों को तथा खुशामदियों को रखने के लिये कौंसिल का निर्माण किया। आज के जमाने में जो लोग जनता के मत को नहीं प्राप्त कर सकते हैं उनलोगों को इस अपर चैम्बर में बनाये रखना बिलकुल गलत चीज है। आज जनतन्त्र का जमाना है, आप कहते हैं कि हम जनता के नुमाइन्दे हैं और इसी हैसियत से आज हम राज-काज चलाते हैं और ऐसे जमाने में कौंसिल की कोई जरूरत नहीं है। अंगरेजों ने अपने समर्थकों और अपने हिमायतियों के लिये उनके रोब दाब को कायम रखने के लिये इसका निर्माण किया था। और इस ऐतिहासिक कारण को मद्देनजर रखते हुए यदि आप परिषद् को रखते हैं तो यह एक दुख की बात होती है। आज हमारे सामने बहुत से बड़ी-बड़ी योजनाएँ हैं जिनके ऊपर करोड़ों-करोड़ रुपये खर्च करने हैं ऐसी अवस्था में लाखों रुपये इस बेजरूरत की चीज पर खर्च करना बेकार है।

अब मैं थोड़े से लफ्जों में आज की दुनिया में जहां भी.....।

Shri RAMCHARITRA SINHA : I think, Sir, ordinary courtesy demands that the hon'ble member who has initiated the debate should be present in the House to hear the discussion.

श्री जकना प्रसाद सिंह—मैं इसको मानता हूं।

SOME MEMBERS : He has just gone out.

श्री जमुना प्रसाद सिंह—तो मैं यह कह रहा था कि संघीय सरकार में दो चैम्बर रहते हैं और इसकी जरूरत महसूस की जाती है; लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में दो चैम्बर रहने चाहिए या नहीं स बात को छोड़कर फेडरल गवर्नमेंट जहां है वहां के प्रान्तों में क्या हालत है और यहां हमारे प्रान्त में क्या हालत है इन दोनों का मुकाबिला करके एनालजी लगा कर देखा जाय तब बात साफ मालूम हो जायगी। दुनियां में दूसरे-दूसरे मुल्कों में भी आज यह आन्दोलन है कि जहां प्रान्तों में दो चैम्बर हैं वहां अपर चैम्बर नहीं रहना चाहिए; जैसे अमेरिका में यह हुआ है कि वहां के एक प्रान्त में दूसरा चैम्बर हटा दिया गया है और बाकी प्रान्तों में भी १९१२ से ही बहस-मुबाहिसा चल रही है कि हटा दिया जाय; लेकिन दो तिहाई मेजरिटी का वोट देनेवालों के और फिर सादे मेजरिटी का पूरे हाउस का जो बखेड़ा है उसकी वजह से अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। कनेडा में ९ प्रान्त हैं और उनमें से ८ प्रान्तों से सेकेंड चेम्बर हटा दिया गया है।

श्री योगेश्वर घोष—किसी सोश्यलिस्ट कंट्री की मिसाल दीजिए।

श्री जमुना प्रसाद सिंह—ओह ! तो मैं कह रहा था कि जहां दो चेम्बर हैं वहां दूसरे चेम्बर को हटाने की बात हो रही है। हिन्दुस्तान में भी १६ प्रान्तों में ७ ही प्रान्तों में यह है, बाकी में नहीं है। यहां भी कोशिश हो रही है, जैसा बम्बई में, कि इसको हटा दिया जाय। संविधान में दो तरह की बात रखी गई है। विधान तो कुछ लचीली चीज़ है ही; दो तरह की बात रख दी गई है, लेकिन जो मकसद है वह साफ है। तो मैं यह कह रहा हूं कि दुनिया और हिन्दुस्तान की तरफ निगाह दौड़ाई जाय तो एक ही नतीजा यह निकलता है कि इसको हटा देना चाहिये।

अब एक चेक और बैलेंसेज की बात की जाती है कि यहां से कोई कानून बन कर जाता है तो यह देखना कि एक्सट्रीमिस्ट या हेस्टी लेजिस्लेशन है तो वहां बड़े बुजुर्ग लोग देखेंगे और गलती नहीं होने पावेगी और गाड़ी कुछ ज्यादा तेजी से नहीं चलने पावेगी। लेकिन हम तो यह कहते हैं कि सेकेंड चेम्बर को कोई अधिकार ही नहीं है। और अगर असेम्बली कोई प्रगतिशील कानून बनावे और जल्द से जल्द बनावे और उसको अगर काउन्सिल रोकना चाहे तब तो काउन्सिल को बिलकुल ही नहीं रहना चाहिए।

एक सदस्य—कौशन।

श्री जमुना प्रसाद सिंह—जब दलीय सरकार है तो कौशन की क्या बात है ? जो यहां रहेंगे उन्हीं के दल के वहां भी रहेंगे। बहुसंख्यक दल को ही तो सब करना है।

तो बैलेंस करने का सवाल यहां नहीं है। शायद इंगलैंड में कभी यह सिद्धान्त लागू हुआ हो जहां हाउस आॅफ लॉर्ड्स है; या जहां फेडरल युनिट्स हैं वहां ऐसी बात हो सकती है, जैसे काउन्सिल ऑफ स्टेट्स है; वह भले ही चेक ऐंड बैलेंसेज का काम पूरा करे; लेकिन प्रान्त में इसकी क्या जरूरत है ? इसलिए यह चेक और बैलेंसेज

की थ्योरी पार्लियामेंट में भले ही लागू हो यहां यह लागू नहीं हो सकती और अगर लागू की जायगी तो वह एक रिएकशनरी मेजर की तरह होगी ।

दूसरी चीज यह है कि कार्यपालक शक्ति सब गवर्नर में नीहित है और मंत्रिगण की सलाह से वह चलते हैं और मिनिस्टर्स जबतक इस हाउस में मेजरटी नहीं कमान्ड करेंगे तबतक बजेट नहीं पास होगा । इसलिये वास्तविक शक्ति इस सदन में है । तो कोई अधिकार जिस सदन को नहीं हो, मनी बिल में तो एकदम ही नहीं है, तो उसके रहने की कोई जरूरत ही नहीं है ।

इन्हीं शब्दों के साथ में श्री रामनारायण चौधरी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

Shri HARIHAR PRASAD SINGH : Sir, I move that the question be now put.

उपाध्यक्ष—मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से अभी कुछ इस पर कहा जायगा ?

Shri RAMCHARITRA SINHA : Yes, I should like to explain the position of Government at this stage, and then you will know whether it is necessary for Government to make a reply.

मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि जब यह प्रस्ताव सदन के सामने लाया गया तब सरकार को विचार करना पड़ा कि इस पर सरकार की क्या राय होनी चाहिये । मैं फिर आपलोगों से कह देना चाहता हूँ कि सरकार ने तय कर लिया है कि इस सम्बन्ध में सदस्यों को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये कि वे जैसा चाहें, इसके पक्ष में या विपक्ष में राय दे सकते हैं । इसके साथ ही साथ यह भी फैसला हुआ कि ट्रेजरी बेंच के सदस्यों को भी इसकी स्वतन्त्रता रहनी चाहिये कि वे अपनी राय इसके पक्ष या विपक्ष में दें । ऐसी हालत में सरकार की कोई खास राय नहीं है । इसलिये मैं यह कह देना चाहता हूँ कि इस सदन के सदस्यों को और मंत्रियों को स्वतन्त्रता है कि वे इस प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं ।

श्री योगेश्वर घोष—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक नियमापत्ति है और यह है कि क्या सरकार की ओर से व्हिप जारी किया गया है कि इस पर वोट देने के लिये सदस्यों को स्वतन्त्रता है ?

श्री राम चरित्र सिंह—अभी मैं बोल रहा हूँ और आई डू नौट गीभ वे ।

उपाध्यक्ष—जब एक नियमापत्ति उठायी गयी है तब माननीय मंत्री को बैठ जाना चाहिये । माननीय सदस्य की क्या नियमापत्ति है ?

श्री योगेश्वर घोष—मेरी नियमापत्ति यह है कि माननीय मंत्री प्रस्ताव के गुण और दोष पर बोलने के लिये न खड़े हुए हैं बल्कि यह बतलाने के लिये खड़े हुए हैं कि सदस्यों के ऊपर क्या व्हिप है ।

उपाध्यक्ष—यह कोई नियमापत्ति नहीं है। माननीय मंत्री अपना भाषण जारी करें।

श्री राम चरित्र सिंह—मैं यह बतला रहा था कि जब यह प्रस्ताव सदन के सामने लाया गया तो सरकार ने इस पर विचार किया कि सरकार की राय इस पर क्या होनी चाहिये और यह तय किया कि इस पर मत देने के लिये सदस्यों और मंत्रियों को स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिये। जब मैं १९३७ में इस सदन का सदस्य था तो इसी आशय का एक प्रस्ताव पेश किया था। उस वक्त के अध्यक्ष महोदय ने मुझे इस पर राय दी कि अभी यहां पर यह चीज नयी बनी है और कुछ तजरबा हासिल करना चाहिये और तब इस पर अपनी राय कायम करनी चाहिये। कुछ अनुभव हासिल कर उसके आधार पर विचार करके काम करना ठीक होगा। जब अभी मैं श्री जमुना प्रसाद का भाषण सुन रहा था जिसमें उन्होंने यह बतलाने की कोशिश की है कि दूसरा सदन एकदम बेकार है तब मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कहने के लिये मजबूर हुआ कि मेरा अब तजरबा यही है कि यहां पर कौंसिल का रहना बहुत जरूरी है।

(टेबुल थपथपाने की आवाज)

आप लोग जानते हैं कि इंगलैंड में प्रजातन्त्रात्मक राज बहुत दिनों से चल रहा है फिर भी वहां पर हाउस आफ लोर्ड्स है जो बहुत ही पुराना है। पहले हाउस आफ लार्ड्स को बहुत अधिकार था लेकिन १९११ में उसके बहुत से अधिकार ले लिये गये। उसके बाद एक कमिटी बैठी कि हाउस आफ लार्ड्स रहे या न रहे और इस कमिटी ने सिफारिश की कि हाउस आफ लार्ड्स का रहना बहुत जरूरी है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के चलाने वाले बहुत से तजरुबाकार लोग रहते हैं और किसी मेजर पर पर उनकी राय लेकर ही उसमें सुधार किया जा सकता है। आप जानते हैं कि जनतन्त्रात्मक प्रणाली जितनी इङ्गलैंड में कामयाब रही है उतनी और किसी दूसरे देश में नहीं हुई है। लेकिन यहां पर सोशलिस्ट लोग इसको लेकर हंगामा करते हैं कि दूसरा सदन नहीं रहना चाहिये।

श्री राम नारायण चौधरी—उपाध्यक्ष महोदय, क्या यहां पर हंगामा शब्द का व्यवहार करना जायज है ?

श्री राम चरित्र सिंह—मैं इस बात को जेनरल टर्म में कह रहा हूँ। ऐसा कहने से मुझे किसी पार्टी पर किसी तरह का आक्षेप करने की नीयत नहीं है। मैं यह कह रहा था कि इङ्गलैंड में प्रजातन्त्र कामयाब रहा है और जितनी कामयाबी वहां पर हासिल हुई है उतनी और किसी दूसरे देश मे नहीं हुई है। सब देशों से वहां के नागरिकों को ज्यादा स्वतन्त्रता है। लेकिन फिर भी वहां पर दो चैम्बर हैं। इसी तरह से फ्रांस में भी दो चैम्बर हैं। अब यह कहना कि यहां पर सेकेंड चेम्बर पर बहुत खर्च होता है और इसलिये यहां पर सेकेंड चैम्बर बेकार है, ठीक नहीं मालूम होता है। मेरी राय में तो बिहार में सेकेंड चैम्बर का रहना बहुत ही जरूरी है। आपको मालूम होगा कि बहुत से बिलों में कौंसिल में कुछ संशोधन हुए हैं और इस सदन ने उनको स्वीकार किया है।

श्री जमुना प्रसाद सिंह—केवल लब्जी तरमीमें हुई हैं।

श्री राम चरित्र सिंह—अगर आप ठीक तरह से देखेंगे तो मालूम होगा कि बहुत जरूरी संशोधन हुए हैं। (

श्री जमुना प्रसाद सिंह—सरकार कुछ चीजों को खुद यहां पर छोड़ देती है और वहां पर जाकर उनको मान लेती है और तब यहां पर उनकी मंजूरी के लिये आती है।

श्री राम चरित्र सिंह—सरकार अपना काम खूब समझती है और आप लोग भी अपना काम खूब अच्छी तरह से समझते हैं फिर भी वहां से हुए संशोधन को आप भी मानते हैं।

तो अगर आप कौंसिल के काम के ऊपर गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि बराबर ही असेम्बली से जो बिल पास होकर जाता है उसमें संशोधन हो जाता है और उस संशोधन को यह हाउस मान लेता है। एक मरतबे ही नहीं, बहुत मरतबे आपलोगों ने वहां के किये हुए संशोधन को माना है। तो इस पहलू से भी कौंसिल का रहना जरूरी है। दूसरी बात आपने यह कही है कि फाइनेन्शियल मैटर्स में कोई ताकत कौंसिल को नहीं है। उसको ताकत है, लेकिन एक ही मरतबे किसी फाइनेन्शियल मैटर्स को वह सिफारिश कर सकती है, दुबारा नहीं कर सकती है। एक मरतबे वह रिकौमेन्ड कर देगी और यहां पर भेज देगी, उसको कबूल करना या न करना आपका काम है यानी अन्तिम निर्णय आपके हाथ में है। आप कहते हैं कि दुनिया बदल रही है और हमलोग समाजवाद और जनतन्त्र की तरफ बढ़ रहे हैं और इस जमाने में वोट पर जो कुछ होना होता है, होता है। इसलिये इसका रहना जरूरी नहीं है। लेकिन हमको तजर्बा है कि जनतन्त्र को चलाने के लिए खास खास साधनों की जरूरत है। तो बहुत-सी कानून को बनाने के लिए हमको कौंसिल से मदद मिली है, वे लोग तजर्बेकार हैं। हमलोगों को उतना तजर्बा नहीं रहने से हमलोगों को किसी-किसी चीज में दिक्कत हो जाती है तो हमलोगों को वहां से मदद मिलती है। कौन्सिल में वे ही लोग चुने जाते हैं जिनको शासन का तजर्बा होता है। वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो खास-खास विषय के विशेषज्ञ हैं, और इसलिए उस विषय पर उनलोगों से राय लेने का मौका मिलता है। वे लोग ऐसे विषय पर हमको राय देते हैं और हमको मदद मिलती है। उनका काम है किसी विषय पर राय देना या यहां से पास हुए बिल में संशोधन करना, लेकिन उसको कबूल करना या न करना आपका काम है। तो मेरा यही कहना है कि वहां पर जो भी लोग चुने जाते हैं वे सब तजर्बेकार लोग होते हैं।

श्री राम नारायण चौधरी—तो यहां के लोग क्या तजर्बेकार नहीं हैं ?

श्री रामचरित्र सिंह—हम कहां कहते हैं कि यहां के लोग कम तजर्बेकार हैं। आप घबड़ायें नहीं, मैं उसी पर आता हूं, तो आपलोग कौन्सिल के लिए एक-तिहाई सदस्य को यहां से चुनकर भेजते हैं और आपलोग उन्हीं लोगों को चुनकर भेजते हैं

जिनको शासन का तजर्बा रहता है और जेनरल नौलेज भी वाइड रहता है, चुनने के समय आपके ऊपर जवाबदेही है कि आप सभी वातों पर विचार कर उनलोगों को चुनें।

One third of the members are elected by the people. Of course, I am speaking in my personal capacity. We should devise some method by which we can have experienced men.

श्री जमुना प्रसाद सिंह—आपके कहने से तो मालूम होता है कि वहां असफल और अवांछित लोग चुना कर जाते हैं।

श्री राम चरित्र सिंह—हमने तो यह कहा है कि जिनको शासन का काफी अनुभव रहता है वे ही लोग चुने जाते हैं।

I would like to say that we should try to arrange things in such a way that the member elected to the Council should be such as may be in a position to give you advice on all matters.

तो हम कौंसिल के उन्मूलन के पक्ष में इसलिये नहीं हैं कि उससे हमको अच्छी सलाह नहीं मिल सकेगी। हां, यह बात सही है कि उस पर रुपये खर्च होते हैं, जिससे आपलोगों को तकलीफ है।

श्री राम नारायण चौधरी—राय तो हमको विशेषज्ञों से भी मिल सकती है।

श्री राम चरित्र सिंह—आप सभी बातों को नहीं समझते हैं। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ और अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सेकेंड चैम्बर के रहने से हमलोगों को अच्छी सलाह मिलती रहती है और जिसका अनुभव हमलोगों को है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातों पर सदन विचार करेगी।

श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

अब प्रश्न रखा जाय।

उपाध्यक्ष—मैं अभी क्लोजर मोशन को मंजूर नहीं करूंगा क्योंकि अभी इस पर दो-तीन और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। उनके बोलने के बाद यह क्लोजर मोशन मूव किया जाय।

श्री रामजनम महतो—श्री रामनारायण चौधरी के प्रस्ताव का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं बड़े गौर से बाबू जमुना प्रसाद सिंह के व्याख्यान को सुन रहा था। कौंसिल को फाइनेन्शियल मैटर्स को डील करने के लिए अधिकार नहीं है। यह ठीक है क्योंकि रुपये पैसे के मामले में दो मालिक का रहना ठीक नहीं है। वहां सिर्फ मनी बिल औरिजिनेट नहीं कर सकता है और यहां मनी बिल भी ओरिजिनेट करता है। और अन्य प्रकार के सभी बिलों के सम्बन्ध में कौंसिल तथा असेम्बली दोनों का अधिकार एक ही ऐसा है। यदि कोई बिल कौंसिल से लौट कर आता है और असेम्बली उनके संशोधनों को नहीं माने, जैसा कि अधिकार है,

तब दोनों सदनों को एक जगह बैठ कर वोटिंग से तय करना होगा। दोनों सदनों की एक साथ वोटिंग होगी और उसी से जो पास होगा, वही होगा। फाइनेन्शियल मैटर, रुपए पैसे के मामले में यह होना ठीक नहीं था। इसके लिए इसे हटा देना हमारे विचार से ठीक नहीं जँचता है। उन्होंने कहा कि इसका विधान अप्रजातन्त्रात्मक है। यहां पर हमलोग जो चुनकर आए हैं, हम ही लोग उनलोगों को चुनते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम समझते हैं कि विश्वविद्यालय जो है वह तो बिलकुल अप्रजा-तान्त्रिक बडी होगी और उसे भी उठा देना होगा और विश्वविद्यालय जो प्रगतिशील संस्था है उसे उठा देना होगा। इसमें देखा जाय कि कितने इन्टरेस्ट का प्रतिनिधित्व होता है, कहां-कहां से नुमाइन्दा आते हैं, लोकल बडीज, ग्रेजुएट कंस्टिच्युएंसी से लोग आते हैं, खास कर जो विशेषज्ञ हैं वे लोग आते हैं। यहां असेम्बली के सदस्यों के लिए तो कोई योग्यता नहीं है। हो सकता है कि यहां बहुत से ऐसे लोग आ जायं जिससे हमलोग अपने काम में सफल न हो सकें। इसलिए हमलोगों को उनकी राय की जरूरत है और इसलिए उसे अप्रजातान्त्रिक कहना हमें ठीक नहीं जँचता। उनका कहना है कि इसको कोई अधिकार नहीं है इसलिए उसको हटा देना चाहिए, ऐसा कहना ठीक नहीं है। खर्च की बात भी कही गयी है। आप तो जानते ही हैं कि प्रजा-तान्त्रिक देशों में प्रजातन्त्र को कायम रखना हाथी का पोसना है। यदि खर्च की बात कही जाय तो हमलोग जो ३३१ सदस्य हैं इसकी संख्या भी कम कर दी जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि १९३५ के गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट के मुताबिक इसका ओरिजिन हुआ था अपना नुमाइन्दा रखने के लिए क्योंकि उनको डर था कि हो सकता है कि अधिकार बढ़ जाय और उनके नुमाइन्दे न आवें, उनकी दाल न गले, उन्होंने अपने मतलबी आदमी को रखने के लिए ऐसा किया है। १९३५ का गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट मेरे पास नहीं है लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कौंसिल को विशेष पावर १९३५ के ऐक्ट के अनुसार था। सदन के नेता ने बताया है कि और देशों में भी दो चैम्बर रखने का प्राविजन है। १९३५ के ऐक्ट में कोई नई बात रखी गई थी, ऐसी बात नहीं थी, परम्परा से यह बात चली आ रही थी। विधान परिषद् को भी अधिकार है, इससे ज्यादा पावर १९३५ में नहीं था और जैसा हमने कहा है कि परिषद् में पढ़े-लिखे लोग, एक्सपर्ट लोग आते हैं। चूंकि उनको अधिकार नहीं है इसलिये उनकी सलाह लेना ठीक नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं जँचता है। उनका अधिकार कम है लेकिन उनकी सलाह बुजुर्ग की सलाह जैसी ही होती है इसलिए उनलोगों का रहना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ में श्री राम नारायण चौधरी के प्राविधानिक प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

*श्री तनुक लाल यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राम नारायण चौधरी के प्रस्ताव

का समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिये करता हूँ कि विहार राज्य गरीब है, विहार पर आफत पर आफत आ रही है और विहार की जनता आज त्राहि-त्राहि कर रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि विधान परिषद् को उठा कर उससे जो खर्ज बचे उस खर्च को जनता के कारोबार में खर्च करे। जनता के जीवन में उन्नति के लिए, उसे खर्च किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, विधान परिषद् नाकामयाब है। आज उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे तो इसलिए रखा गया है कि शासकदल अपने कुछ आदमियों का पालन पोषण करे। उपाध्यक्ष महोदय, विधान परिषद् को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है उसे जल्द से जल्द उठा देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, उस खर्च से जनता का विकास होना चाहिए। आज विहार में शिक्षा की कमी है, विहार में तरक्की की कमी है, आज विहार राज्य में गरीब के झोपड़ों पर फूस तक नहीं है और यहां लोग

गरीब के रुपयों से गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज देहात में गरीबों को क्या दिक्कत हो रही है। आज लोग टैक्स देते-देते तबाह हो रहे हैं, उनकी क्या हालत हो रही है, गरीबों का दम टूट रहा है, आज उनके श्वास निकलते जा रहे हैं और इधर सरकार गरीब रैयतों पर हर तरह के टैक्स का बोझ लादती जा रही है। गरीब जनता अपना दम तोड़ कर, निराश होकर बैठी है। आज आप नहर टैक्स ले रहे हैं, गाड़ी बैलों पर टैक्स लगा रहे हैं, चीनी पर, तेल पर इत्यादि चीजों पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। जब अंग्रेज यहां थे उस समय गांधी जी चौकीदारी टैक्स का और और तरह के टैक्स का भी विरोध किया करते थे पर आप आज आदमी के श्वास पर, मांस पर, हाड़ पर टैक्स लगा कर नाजायज आदमी को बैठा कर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार.....

उपाध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य अपने भाषण में शब्दों पर ध्यान रखेंगे। नाजायज आदमी को बैठाकर, यह सब असंसदीय है।

श्री तनुक लाल यादव—नाजायज तरीके से खर्च किया जा रहा है। पहले यही सरकार के लोग गांधीवाद का नारा लगाते थे, उसके बाद राम राज्य का नारा लगाने लगे और अब वे ही आज समाजवाद का नारा लगा रहे हैं। इधर सरकार इस तरह का नारा लगाती है और दूसरी तरफ टैक्स का बोझ लादती जा रही है, नाजायज खर्च करती जा रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि विधान परिषद् को बन्द कर दिया जाय। मैं सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि जब तक यह सरकार फिजूल-खर्ची बन्द नहीं करेगी तब तक टैक्स नहीं बन्द हो सकेगा और जनता का विकास नहीं हो सकेगा। जनता के विकास पर खर्च करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं करने से ठीक काम नहीं हो सकेगा। आज १०–२० कोस पर भी एक-एक अस्पताल नहीं है। दस-दस कोस पर अस्पताल है और गरीबों को वहां दवा नहीं मिलती है। एक ओर इस तरह का नजारा देखा जाता है और दूसरी ओर तरह-तरह के दफ्तर खोल कर नाजायज खर्च बढ़ाये जा रहे हैं, कहीं अंचलाधिकारी ऑफिस के नाम पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं, कहीं फलां काम के नामपर, फलां चीज के लिए ऑफिस खोल कर और कहीं फलां विकास के नाम पर पानी की तरह रुपए बहाए जा रहे हैं। आप देखें उपाध्यक्ष महोदय, विधान परिषद् की क्या आवश्यकता है, उस पर क्यों इतना ज्यादा रुपया खर्च किया जा रहा है। इस तरह देश पर खर्च का बोझ आप दिन प्रतिदिन लादते जा रहे हैं और समाजवाद का नारा लगाते हैं। गरीबों को दिहातों में दवा जैसी जरूरी चीज भी नहीं मिल पा रही है और आप विधान परिषद् पर इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, यह कैसी अनर्गल बात है, कितनी नाजायज बात है, आप सोचें। यहां तक दिहातों में पीने का पानी भी गरीबों को नहीं मिल रहा है इसलिये मेरा कहना है कि आप विधान परिषद् को जल्द से जल्द उठा दें।

श्री रामचरित्र सिंह—माननीय सदस्य साबित कर रहे हैं कि सेकेंड चेम्बर रहने की जरूरत है।

श्री तनुक लाल यादव—उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं यह कह रहा हूँ कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे सिंचाई मंत्री सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का बराबर हवाला देते हैं। आप देखें कि समाजवाद के नाम पर किस तरह २५ बीघे की

सीमा निर्धारण की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद का क्या यही नारा है कि ५०, २५ बीघे की सीमा निर्धारित की जाय। मैं कहूँगा कि यह नारा देश में धोखे की टट्टी है और योंही समाजवाद का नारा लगाया जाता है। मैं फिर एक बार कह कर बैठ जाता हूँ कि आप इस तरह विधान परिषद् पर नाजायज खर्च कर गरीबों को दवा से वंचित नहीं रखें। साथ ही साथ मैं सदन से निवेदन करूँगा और सरकार से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि विधान परिषद् पर इस तरह रुपया खर्च नहीं करें। इसलिये मैं श्री रामनारायण चौधरी जी का प्रस्ताव जो परिषद् को खतम कर देने का है, समर्थन करता हूँ और सदन से निवेदन करता हूँ कि विधान परिषद् को उठा देने के लिए समर्थन करें।

*श्री अम्बिका सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान ले जाना आवश्यक समझता हूँ। ऐसा रोज देखा जाता है कि जब सदन की कारंवाई जारी रहती है तो बहुत से बाहर के लोग दरवाजे पर खड़े रहते हैं और पर्दा उठाकर झांकते रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर आप ध्यान दें और उचित कारंवाई करने की व्यवस्था करायें।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य, श्री अम्बिका सिंह जी ने जिस बात की ओर अभी ध्यान दिलाया है वह ठीक है। मैं इसके लिए यह कह देना चाहता हूँ कि दरवाजे पर जो चपरासी खड़े रहते हैं वे इसकी ओर ध्यान दें।

श्री भोला नाथ भगत—उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूँ। सवाल यह है कि द्वितीय सदन रखा जाय या नहीं। अपने भाषणों में माननीय सदस्यों ने पहले बहुत तरह की बातें कहते हुए हवाला दिया है कि अमेरिका, इङ्गलैंड वगैरह देशों में पहले-पहल दो हाउस हुए। इंगलैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, दो हाउस हुए। दोनों में बहुत दिनों तक अधिकार के लिये झगड़ा होता रहा। १८३२, १८६५ और १८८५ में पहले-पहल वहां कंस्टीच्यूशनल डेडलौक हुआ और जिस चीज को हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास किया उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बराबर काटती रही। आखिर में १६११ तथा १६२६ में यह अन्तिम फैसला हुआ कि कम से कम वित्तीय बातों में हाउस आफ लार्ड्स को कोई अधिकार नहीं रहेगा। हमारे यहां ११ प्रतिशत लोग शिक्षित हैं और स्त्रियों की संख्या तो और भी कम है। हम वयस्क मताधिकार से चूनकर आते हैं। समाज का ठीक से संचालन करने के लिये हम कानून बनाते हैं और यह हो सकता है कि एक आदमी से गलती हो तथा एक समूह से भी गलती हो सकती है। जो गलती असेम्बली में हो सकती है उसको कौंसिल सुधार के लिये रिमाइन्ड कर सकती है। इस तरह से जनतन्त्र और मजबूत होगा। यदि जानकर या अनजान से गलती हो जाय तो कौंसिल में उस विषय के विशेषज्ञ उस गलती को पकड़ लेते हैं। इसलिये कौंसिल को सलाहकार के रूप में रखना जरूरी है। असेम्बली तो सार्वभौम संस्था है ही। स्वतन्त्रता के लिये सबसे बड़ी लड़ाई फ्रांस में हुई। वहां रूसी के समान विद्वानं ने यह कहा कि समानता, स्वतन्त्रता और अधिकार सबको रहना चाहिये। वहां के लोगों ने लुई १६वें को मार डाला और रानी को भी कैद कर लिया। अन्त में सारा अधिकार पेरिस की कम्युन के हाथ में आ गया और उनलोगों ने पुरानी चीजों को बदल दिया। सात दिन के सप्ताह की जगह १० दिन का सप्ताह मानने लगे और १२ महीने का साल

के बदले १० महीने का साल मानने लगे और महीने का भी नाम बदल दिया। उन लोगों ने यह भी सोचा कि ईसाई धर्म पुराना हो गया है और इसको भी बदल देना चाहिये। इस तरह की गलतियां एक समूह से हो सकती हैं इसलिये हमको सब बातों को देखना चाहिये। अमेरिका में दो हाउस हैं, हालांकि वहां बहुत अधिक लोग पढ़े-लिखे हैं। हमारे यहां संविधान में यह प्रोविजन है कि राज्यपाल बहाल किये जायंगे। हमलोग प्रोहिबिशन ऑफ आर्जीमनी तथा फूड एडलटरेशन बिल यहां लाते हैं और इसमें गलती हो सकती है। यदि कौंसिल रहेगी तो वहां विशेषज्ञ लोग इसकी गलती को देख सकते हैं। इसलिये मेरा ख्याल है कि अभी द्वितीय सदन को रखना चाहिये। डॉक्टर रहेंगे, वैज्ञानिक रहेंगे और उनको रहना भी चाहिये। आप देखते हैं कि जो चुने हुए सदस्य हैं जिनको हमलोग चुनते हैं, स्नातक लोग चुनते हैं, मंडल-परिषद् के सदस्य लोग चुनते हैं और यह भी आशा की जाती है कि वे शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं। कुआं को एकबार खोद कर पानी निकालते हैं और दूसरी बार खोदने पर पानी और स्वच्छ हो जाता है। इसलिये उच्च-सदन में जाकर विधेयक वगैरह और भी स्वच्छ हो जाते हैं और उससे जनतन्त्र का भी विकास होगा। इन्हीं सब बातों से मैं समझता हुँ कि द्वितीय सदन का होना बहुत जरूरी है।

*श्री जिवत्स शर्मा हिमांशु—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री जमुना बाबू ने जो कहा है उसका जवाब देना चाहता हूँ।

जिस भांति पिता के बिना पुत्र की, गति होती सभी जानते हैं।
जिस भांति न भाई वहन के बिना सुख पाते सदा कष्ट छानते हैं।
उसी भांति हमारी भी होगी गति, यदि आपकी बात को मानते हैं।
हम दोनों चले जनतन्त्र को हैं, एक साथ खिलाने पर ठानते हैं।

यदि होती न राज्य सभा तो भला, राधाकृष्णन को हम लाते कहीं,
यदि जाती बनायी न छोटी सभा, फिर गंगाशरण नहीं आते कहीं,
बहती नहीं धारा सरस्वती की, नहीं स्वर्ग नया बसा पाते कहीं।
कुसुमा का न संचय होता कभी, नय दृश्य नहीं दिखलाते कहीं॥

फिर पूछते मित्रों की बात ही क्या, कितने का कलेजा जला हमको,
कितने का सुहाग मिटेगा अहा, मिटने को चली है कला इसके।

सरकार द्वारा प्रबन्धित विद्यालय की स्थापना।

Establishment of Government managed College.

Shri MUHAMMAD TAHIR : Sir, I beg to move :

That the non-official resolution regarding the establishment of one Government Managed College (Arts and Science) in every district headquarters which is under discussion and has been put on the order paper of this day, the 27th April 1956, be postponed for consideration in the next Session of the Assembly.